न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 107 / 2010 (उदयपुर डिक्री)

लालसिंह पिता श्री हमेरसिंह राजूपत, निवासी तलाई (बग्गड़), तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती शोभा कुंवर पत्नी श्री भूरसिंह राजपूत, निवासी साकरोदा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती भूर कुंवर पत्नी श्री जवानसिंह राजपूत (मृतक) के बजाय :–

2 / 1. श्रीमती उलास कुंवर पुत्री श्री जवानसिंह राजपूत, निवासी खातीखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

2 / 2. श्रीमती कैलाश कुंवर पुत्री श्री जवानसिंह राजपूत, निवासी खातीखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

2 / 3. श्रीमती नन्दा कुंवर पुत्री श्री जवानसिंह राजपूत, निवासी खातीखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

2 / 4. श्रवण कुमार पुत्र श्री जवानसिंह राजपूत, निवासी खातीखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

2 / 5. जवानसिंह पुत्र श्री भैरूसिंह राजपूत, निवासी खातीखेड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

3. मोहनसिंह पिता श्री कालूसिंह राजपूत (मृतक) के बजाय :–

3 / 1. श्रीमती उगम कुंवर पत्नी श्री मोहनसिंह राजपूत, निवासी तलाई (बग्गड़), तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

3 / 2. इन्द्रसिंह पुत्र श्री मोहनसिंह राजपूत, निवासी तलाई (बग्गड़), तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

3 / 3. विक्रमसिंह पुत्र श्री मोहनसिंह राजपूत, निवासी तलाई (बग्गड़), तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

3 / 4. श्रीमती इन्द्रा कुंवर पुत्री श्री मोहनसिंह पत्नी श्री शंकरसिंह राजपूत, निवासी आमीवाड़ा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)

3 / 5. श्रीमती सुगना कुंवर पुत्री श्री मोहनसिंह पत्नी श्री अमरसिंह झाला राजपूत, निवासी आमीवाड़ा, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)

3/6. श्रीमती दुर्गा कुंवर पुत्री श्री मोहनसिंह पत्नी श्री प्रतापसिंह राजपूत, निवासी तलाई (बग्गड़), तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

4. मोखमसिंह पिता श्री कालूसिंह राजपूत (मृतक) के बजाय :–

4/1. किशनसिंह पिता श्री मोखमसिंह राजपूत, निवासी तलाई (बग्गड़), तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

4/2. श्रीमती राज कुंवर पुत्री मोखमसिंह राजपूत, निवासी तलाई (बग्गड़), तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

4/3. श्रीमती सायर कुंवर पुत्री मोखमसिंह राजपूत, निवासी तलाई (बग्गड़), तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

5. सुमेरसिंह पिता श्री कालूसिंह राजपूत, निवासी तलाई (बग्गड़), तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

6. शंकर महाराज पिता श्री पेमाजी, जाति ब्राहमण, निवासी तलाई (बग्गड़), तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

7. सरदारसिंह पिता श्री हमेरसिंह राजूपत, निवासी तलाई (बग्गड़), तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

8. उदयपुर जिला भूमि विकास बैंक, उदयपुर (राज.)

9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा – 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर
दिनांक 17–05–2010 प्र.सं. 2/2006

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री डालचन्द पोखरना अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 से 3
4. श्री लोकेश गहलोत अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट सं. 4/1
3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रेस्पो. सं. 9

———::———

निर्णय **दिनांक 24–07–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का

प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम तलाई में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित कुल किता 3 रकबा 47 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है, जो वर्तमान में प्रतिवादीगण मोखमसिंह, सुमेरसिंह व मोहनसिंह के खातेदार में दर्ज है, जिसे आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण मोखमसिंह, सुमेरसिंह व मोहनसिंह की पैत्रृक भूमि होकर वादीगण प्रत्येक का 1/5, 1/5 कुल 2/5 हिस्सा है, परन्तु प्रतिवादी मोखमसिंह ने लालचवश वादीगण के पिता के देहान्त के बाद वादीगण का नाम नामान्तरकरण में अंकित नहीं करवाया। प्रतिवादी मोखमसिंह, सुमेरसिंह दोनों का आराजी नंबर 76 में 1/5, 1/5 जुमला 2/5 हिस्सा है, परन्तु उन्होंने से 2/3 हिस्सा होने का गलत कथन करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 लालसिंह के पक्ष में दिनांक 17—06—1993 को विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया, जो वादीगण व प्रतिवादी मोहनसिंह के मुकाबले अवैध व शून्य प्रभावी है। प्रतिवादी मोखमसिंह, सुमेरसिंह, शंकर महाराज व सरदारसिंह के मकान इस आराजी नंबर 76 में बने हुए हैं तथा प्रतिवादी मोहनसिंह का मकान व बाड़ा भी बना हुआ है और सभी इनमें निवास करते हैं। इसी प्रकार आराजी नंबर 26 व 65 में भी प्रतिवादी मोखमसिंह व सुमेरसिंह प्रत्येक का 1/5, 1/5 कुल 2/5 हिस्सा है, परन्तु भूमि विकास बैंक में 2/3 हिस्से का रहन रखा गया है, जो गलत है। वादीगण वादग्रस्त भूमि में 2/5 संयुक्त हिस्से की भूमि होने की घोषणा कराने की अधिकारी हैं। अतएवं वादग्रस्त भूमि में वादीगण प्रत्येक का 1/5, 1/5 कुल 2/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कराया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा व अन्य विधिक अनुतोष दिलाया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2, 4 व 5 की ओर से सहमति का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 लालसिंह द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी नंबर 76 में 2/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लालसिंह व 1/2 हिस्सा मोहनसिंह के खातेदार में दर्ज है। वादीगण ने जानबूझकर दावा कालूसिंह के निधन पर नहीं किया है तथा कालूसिंह की मृत्यु के बाद वादीगण की सहमति से नामान्तरकरण तीनों पुत्रों के नाम खुला है। आराजी नंबर 76 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि में 2/3 हिस्सा मय आराजी चाह 78 रकबा 6 बिस्वा पिलाई के हक सहित मोखमसिंह व

सुमेरसिंह प्रतिवादी संख्या 3 व 4 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 17–06–1993 को 36,000/– रूपये में पंजीकृत विक्रय किया जाकर कब्जा सिपुर्द किया गया है, तब से आराजी नंबर 76 के 2/3 हिस्से एवं आराजी चाह नंबर 78 के 1/6 हिस्से सहित राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम वादीगण की जानकारी में चला आ रहा है। आराजी नंबर 76 पर मोखमसिंह व सुमेरसिंह तथा सरदारसिंह का कोई मकान नहीं है। मोहनसिंह का मकान उसके 1/3 हिस्से में है, जिसमें मोहनसिंह व शंकर महाराज निवास करते हैं। वादीगण को 1964 से 12 वर्ष की अवधि में सन् 1976 तक दावा करना चाहिए था जो नहीं किया गया है। प्रतिवादी लालसिंह अपने 2/3 हिस्से पर काबिज है।

विशेष कथन में बताया कि वादीगण को वादकरण उत्पन्न नहीं होने से वाद आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत खारिज किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 लालसिंह ने आराजी नंबर 76 में 2/3 हिस्सा व मोहनसिंह का 1/3 हिस्से होने बाबत् दावा विभाजन का पूर्व में आप न्यायालय में 84/2005 प्रस्तुत किया हैं। प्रतिवादी संख्या 1 मोहनसिंह ने वादीगण से मिलकर प्रतिवादी संख्या 1 को परेशान करने की नियत से यह वाद प्रस्तुत किया है। किसी कारणों से न्यायालय वादीगण का 2/5 हिस्सा माने तो विवादित तीनों आराजी के विभाजन में आराजी नंबर 76 प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 के हिस्से में रखते हुए तथा प्रतिवादी संख्या 3, 4 के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा रखते हुए मौके पर हिस्सा अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 का आराजी नंबर 76 में 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्से का विभाजन कराया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा भी उपरोक्तानुसार ही खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण में दिनांक 19–09–2007 को निम्नानुसार 11 तनकियात कायम की गयी :–

1. आया मौजा तलाई पटवार सर्किल बग्गड़ तहसील वल्लभनगर की आराजी नंबर 26, 65, 76 कुल किता 3 रकबा 47 बीघा 10 बिस्वा वादीगण दोनों एवं प्रतिवादीगण मौखमसिंह, सुमेरसिंह, मोहनसिंह पॉचों

की पैत्रृक भूमि है, जिनके पिता कालूसिंह का देहान्त सन् 1964 में हुआ है ? .... वादीगण

2. आया वादग्रस्त भूमि में वादीगण दोनों का 1/5, 1/5 कुल 2/5 खातेदारी अधिकार है और इसी अनुसार वे घोषणा पांती बंटवाड़ा कराने की अधिकारी हैं ? .... वादीगण

3. आया प्रतिवादीगण मोखमसिंह, सुमेरसिंह ने वादग्रस्त आराजी नंबर 76 में अपना 1/3, 1/3 कुल 2/3 हिस्सा गलत बताकर प्रतिवादी लालसिंह के पक्ष में विक्रय पत्र 17–06–93 को कर दिया जो वादीगण एवं प्रतिवादी मोहनसिंह के मुकाबले प्रभावहीन है ?...वादीगण

4. आया वादग्रस्त आराजी नंबर 76 में प्रतिवादीगण श्री मोखमसिंह, सुमेरसिंह, शंकर महाराज, सरदारसिंह, मोहनसिंह के अलग–अलग मकान बने हुए हैं इसका इस वाद पर क्या असर है ? .... वादीगण

5. आया वादग्रस्त आराजी नंबर 26, 65 को प्रतिवादीगण मोखमसिंह, सुमेरसिंह ने अपना 2/5 हिस्सा गलत बताकर उदयपुर जिला भूमि विकास बैंक उदयपुर के गलत रहन रख दिया है, जिसे 2/5 हिस्सा ही रहन की घोषणा करायी जा सकती है ? .... वादीगण

6. आया वादीगण प्रतिवादी लालसिंह के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण के 2/5 हिस्से में, भुगत–भोग में कोई व्यवधान नहीं करें, प्राप्त करने के अधिकारी हैं ? .... वादीगण

7. आया आराजी नंबर 76 पर प्रतिवादी श्री शंकर महाराज एवं सरदारसिंह के मकान को मोखमसिंह, सुमेरसिंह द्वारा मकान बनवाकर काबिज करा दिया है, इसका दावे पर क्या असर है ? .... वादीगण

8. आया वादीगण का वाद इनके पिता के 12 वर्ष की समयावधि के पश्चात किया गया है जो काबिज खारिज है ? .... प्रतिवादी सं. 1

9. आया शंकर महाराज का मकान मोहनसिंह के हिस्से में बना हुआ है और प्रतिवादी मोखमसिंह एवं सुमेरसिंह का आराजी नंबर 76 में कोई मकान नहीं है ? .... प्रतिवादी सं. 1

10. आया प्रतिवादी लालसिंह के पक्ष में मोखमसिंह, सुमेरसिंह के द्वारा किये गये विक्रय पत्र को शून्य कराये बिना यह वाद चलने योग्य नहीं है ? .... प्रतिवादी सं. 1

11. अनुतोष ?

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की पेश शुदा साक्ष्य सबूतों के आधार पर दिनांक 17–05–2010 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का घोषणात्मक वाद डिक्री कर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 08–06–2010 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से वकील श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4/1 की ओर से वकील श्री लोकेश गहलोत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट वाबजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

दौराने कार्यवाही वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4/1 की ओर से काउण्टर अपील भी पेश की गयी, जिसका जवाब रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा पेश किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की। वकील काउण्डर अपीलकर्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4/1 ने काउण्डर अपील प्रस्तुत कर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए काउण्टर अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की।

प्रकरण में सर्वप्रथम हम अपीलान्ट द्वारा लिये गये उपरात पर विवेचन करना उचित समझते हैं। अपीलान्ट के प्रमुख उजर यह हैं कि सन् 1964 से लगातार दिनांक 21–12–2005 तक रेस्पान्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा कोई भूमि क्लेम नहीं करना एवं भूमि को रेस्पान्डेन्ट संख्या 1 व 2 की जानकारी में

विक्रय अपीलान्ट को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा करने देना तथा कब्जा सुपुर्द करने देना की स्थिति में रेस्पान्डेन्ट संख्या 1 व 2 को अब यह वाद प्रस्तुत करने की अधिकारिता नहीं है। अपीलान्ट द्वारा भूमि का क्रय प्रतिफल के बदले रेकार्ड व कब्जे की जांच कर किया गया है। कुल 3 आराजियात होकर रकबा 47 बीघा 10 बिस्वा है, जिसमें से विक्रेता प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के हिस्से में 18 बीघा के करीब भूमि आती है, ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के द्वारा किया गया विक्रय उसके हिस्से में आने वाली भूमि से कम है, ऐसी स्थिति में विक्रय की गयी भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 अपीलान्ट के हिस्से से प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को विक्रय की गयी भूमि कम आवंटित की जा सकती है, किन्तु विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र किया गया विक्रय 2/5 हिस्से तक ही आराजी नंबर 76 में माना है, जो गलत है, जबकि विभाजन तीनों ही आराजियात के लिए किया गया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व रेकार्ड का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि विरासत के प्रकरणों में कब्जा गौड़ होता है तथा यदि किसी विक्रेता द्वारा अपने हक से ज्यादा विक्रय किया जाता है तो उक्त विक्रय प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य होता है, तद्नुसार अपने विधिक हिस्से से ज्यादा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 व 5 द्वारा किये गये विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्ट क्रेता को उससे ज्यादा अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तद्नुसार जहां तक स्वत्व का प्रश्न है, यह अपीलान्ट के पक्ष में सिर्फ रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 व 5 के हक तक ही प्रभावी माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 व 5 द्वारा किये गये विक्रय को मान्यता नहीं दी जा सकती।

अपीलान्ट का अन्य उजर यह है कि सद्भावी क्रेता होने से उसका स्वत्व है, तो इस बाबत् वह अपने विक्रेता के उत्तराधिकार पर ही चाराजोही कर सकता है, न कि विधिक स्वत्वधारी के हिस्से को कम किया जावे। तद्नुसार अपीलान्ट का यह उजर भी समायत योग्य नहीं है। प्रकरण में जहां तक अपीलान्ट द्वारा विभाजन की डिक्री चाही गयी है, उसके विभाजन प्रस्ताव पर ही विशिष्ट हिस्से व क्रय किये गये हिस्से बाबत् विनिश्चियन किया जा सकता है। तद्नुसार अपीलान्ट के उजर प्रथम दृष्टया समायत योग्य नहीं है एवं अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

प्रकरण में जहां तक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4/1 की काउण्टर अपील का प्रश्न है, उसमें रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4/1 की काउण्टर अपीलकर्ता द्वारा यह उजर लिया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय में मोहनसिंह ने अपनी बहनों वादीगण से मिलकर दुरभिसंधि कर गलत वाद प्रस्तुत करवाया है, जिसकी जानकारी रेस्पोन्डेन्ट के पिता मोखमसिंह को कभी नहीं होने दी। मोखमसिंह के नाम जो सम्मन जारी हुआ, वह भी मोहनसिंह ने उन तक नहीं पहुंचने दिया और सीधे ही चस्पा करा दिया जाना सम्मन की पुष्ठ पर अंकित करा दिया, जबकि ऐसा सम्मन कभी भी चस्पा नहीं किया गया था। सम्मन के पुष्ट पर गवाह इन्द्रसिंह के हस्ताक्षर करवाये गये जो वास्तव में मोहनसिंह का लड़का है, लेकिन सम्मन पर मोखमसिंह का पुत्र होना अंकित करवा दिया। दूसरा गवाह अभयसिंह भी मोहनसिंह का परिचित ही है। रेस्पोन्डेन्ट के पिता उक्त प्रकरण से हमेशा अनभिज्ञा ही थे, क्योंकि जानबूझकर उनको जानकारी नहीं होने दी गयी। मोखमसिंह कभी भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए उनका फर्जी अंगूठा है। उक्त प्रकरण की रेस्पोन्डेन्ट के पिता को कभी भी जानकारी नहीं हो पायी।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त निर्णय रेस्पोन्डेन्ट व उसने पिता के परोक्ष में किया गया है, जिसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। हाल ही में रेस्पोन्डेन्ट के पिता का स्वर्गवास हो जाने पर प्रकरण में वारिसान के रूप में शामिल किया गया, तब उक्त प्रकरण की जानकारी हुई। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

प्रकरण में उक्त काउण्टर अपील का जवाब रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोन्डेन्ट स्वयं यह मानता है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय नियमों के विपरीत होकर निरस्त योग्य है, जिसे काउण्टर अपील के पैरा नंबर 1 में स्वीकार किया है। वास्तविकता यह है कि वाद की जानकारी प्रतिवादी मोखमसिंह को शुरू से ही थी। मोहनसिंह द्वारा मोखमसिंह तक सम्मन नहीं पहुंचने देने के तथ्य गलत वर्णित किये हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि नियमानुसार तामिल करवायी गयी है। मोखमसिंह का कभी भी कोई फर्जी अंगूठा नहीं लगवाया गया। मोखमसिंह स्वयं न्यायालय में उपस्थित हुए थे व मोखमसिंह की मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान ने वकालतनामा दिया है। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा काउण्टर अपील मयाद निकल जाने के बाद प्रस्तुत की गयी है।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा काउण्टर अपीलकर्ता के दफा 5 के आवेदन का जवाब देते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी मोखमसिंह को स्पष्ट रूप से थी तथा आप न्यायालय में भी मोखमसिंह की तामिल हुई थी, परन्तु तामिल होने के बावजूद कोई काउण्टर अपील समय सीमा में प्रस्तुत नहीं की। मोखमसिंह ने अपने जीते जी कोई क्लेम नहीं किया अब उनके मरने के बाद एवं उनकी तामिल हुए को वर्षो गुजरने के बाद यह काउण्टर अपील पेश की जा रही है, जो मयाद बाहर होने से खारिज की जावे।

→ प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि मोखमसिंह की तामिल होने के बावजूद वे प्रकरण में अनुपस्थित रहे हैं, जो उनकी मौन स्वीकृति ही मानी जायेगी तो अब उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र द्वारा काउण्टर अपील प्रस्तुत किये जाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि विरासती उत्तराधिकार में किसी पक्षकार का कायम मुकाम आकर समय सीमा के बाहर मूल पुरूष जिससे उत्तराधिकार प्राप्त होगा, उसके विरूद्ध अभिकथन करने को विधिक रूप से सक्षम नहीं है। तद्नुसार कायम मुकाम द्वारा पेश की गयी काउण्टर अपील बेरून मयाद होने एवं गलत आधारों पर प्रस्तुत होने के कारण सारहीन होने से खारिज की जाती है।

उपरोक्तानुसार अपील अपीलान्ट सारहीन होने खारिज की जाती है तथा काउण्टर अपील बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 17—05—2010 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 24—07—2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.........मुकाम..............**उदयपुर**............
व इजलास ....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** ....

लालसिंह पिता हमेरसिंह राजपूत, नि0 तलाई (बग्गड़), तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर	बनाम	**श्रीमती शोभा कुंवर पत्नी भूरसिंह राजपूत, निवासी साकरोदा, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं............**107/2010**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**........
...........**वल्लभनगर**.......... मुकाम.............मुवर्खे............**17**...........माह.............**05**............**2010**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**24**.....माह........**07**.......सन् **2018** रूबरू........**पक्षकारान** व हाजरी........**श्री डालचन्द पोखरना......**मिनजानिब अपीलान्ट व.......**श्री संजय बोहरा....**
श्री लोकश गहलोत

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि......... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने खारिज की जाती है तथा काउण्टर अपील बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 17–05–2010 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**24**.....माह.......**07**...........**2018** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील........... मीजान		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।